

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)आपराधिक प्रक0क्र0-426 / 2005संस्थित दिनांक-24.09.05

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र एण्डोरी

जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

निरपतसिंह उर्फ चच्चू पुत्र गढूसिंह कुशवाह

उम्र 52 साल, निवासी एण्डोरी जिला भिण्ड, म0प्र0

.....अभियुक्त

-:: निर्णय ::-

{आज दिनांक 23.08.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 341, 294, 327 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने 25.08.2005 को 5:30 बजे करनसिंह तोमर के मकान के सामने रोड एण्डोरी में फरियादी को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया, फरियादी को पैसे न देने पर माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं उपस्थित जनसमूह को क्षोभकारित किया तथा फरियादी जितेन्द्र से अवैध रूप से संपत्ति उद्यापित करने के आशय से शराब पीने के लिए दौसौ रुपये मांगकर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि फरियादी जितेन्द्रसिंह जादौन दि० 25.08.05 को शाम 5:30 बजे गांव से चौराहा तरफ आ रहा था। जैसे ही करनसिंह तोमर के घर के सामने आया तो ग्राम एण्डोरी के आरोपी निरपत उर्फ चच्चू ने उसका रास्ता रोककर कहा कि शराब पीने के लिए दौसौ रुपये दो। फरियादी के मना करने पर माँ बहन की अश्लील गालियां देने लगा तथा मना करने पर लातघूंसों से फरियादी की मारपीट कर दी जिससे उसके पीठ में मुदी चोटें आई। करनसिंह, पप्पू सुरेन्द्र तोमर व कल्लू पण्डित ने घटना देखी। उक्त आशय की रिपोर्ट से अप0क्र0-61/05 पंजीबद्ध किया गया। नक्शामौका बनाया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। वाद अनुसंधान अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र० 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। द०प्र०स० की धारा 313 के अधीन अभियुक्त ने अपने कथन में निर्दोष होना तथा झूठा फंसाया जाना बताया।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 25.08.2005 को 5:30 बजे करनसिंह तोमर के मकान के सामने रोड एण्डोरी में फरियादी को निश्चित दिशा में जाने से निवारित कर सदोष अवरोध कारित किया ?
2. क्या अभियुक्त ने उक्त समय फरियादी को पैसे न देने पर माँ बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर फरियादी एवं उपस्थित जनसमूह को क्षोभकारित किया ?
3. क्या अभियुक्त ने उक्त समय फरियादी जितेन्द्र से अवैध रूप से संपत्ति उद्यापित करने के आशय से शराब पीने के लिए दौसौ रुपये मांगकर उसे स्वेच्छा उपहति कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में सुरेन्द्र उर्फ पप्पू अ०सा० 1, अशोक कुमार शर्मा अ०सा० 2, को परीक्षित कराया गया है, जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु विचारणीय प्रश्नों का एक साथ निराकरण किया जा रहा है।

6. प्रकरण में फरियादी जितेन्द्रसिंह की साक्ष्य के पूर्व ही मृत्यु हो गयी इस कारण से उसका साक्ष्य नहीं लिया जा सका। घटना के साक्षी सुरेन्द्र उर्फ पप्पू अ०सा० 1 यह कथन करते हैं कि घटना उनके साक्ष्य दिनांक 28.08.12 से 5-6 साल पहले शाम के 5-6 बजे की है। जितेन्द्र एण्डोरी से चौराहे पर जा रहे थे फिर करनसिंह तोमर के दरवाजे पर पहुंचे तब अभियुक्त निरपतसिंह ने फरियादी जितेन्द्र से शराब पीने के लिए दौ सौ रुपये मांगे, इतने में ही मारपीट शुरू हो गयी। फिर इसके बाद बीच बचाव होकर वे अपने घर चले गए। साक्षी द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया कि अभियुक्त ने फरियादी जितेन्द्र को उसकी वांछित दिशा अर्थात् चौराहे पर जाने से निवारित किया हो। साथ ही फरियादी को किसी प्रकार के अश्लील शब्द या गाली सार्वजनिक स्थान पर दिए जाने के संबंध में भी कोई कथन नहीं किया गया है। संहिता की धारा 341 को प्रमाणित किए जाने के लिए आवश्यक है कि फरियादी को उसकी वांछित दिशा में जाने से निवारित किए जाने का कार्य अभियुक्त द्वारा किए जाने संबंधी साक्ष्य अभिलेख पर होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त संहिता की धारा 294 के अपराध को प्रमाणित किए जाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्द या गाली के उच्चारण एवं अभिकथित शब्द व गाली सुनकर फरियादी को व उसके

सुनने वालों को क्षोभकारित हुआ हो ऐसा भी अभिलेख पर तथ्य होना आवश्यक है। प्रकरण में उक्त दोनों आरोपों के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर उक्त आरोपों के संबंध में अभियुक्त के विरुद्ध कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त के विरुद्ध उक्त आरोप प्रमाणित होना नहीं पाए जाते हैं।

7. साक्षी सुरेन्द्रसिंह उर्फ पप्पू जो कि घटना का चक्षुदर्शी साक्षी है वह बताता है कि करनसिंह तोमर के दरवाजे पर जब जितेन्द्र पहुंचा तो अभियुक्त ने जितेन्द्र से शराब पीने के लिए दौ सौ रुपये मांगे। आगे यह कथन करता है कि "इतने में ही मारपीट शुरू हो गयी।" साक्षी प्रतिपरीक्षण की कण्डिका 2 में मारपीट किस प्रकार से हुई इसको स्पष्ट करता है कि झगड़े में जितेन्द्र ने निरपतसिंह को पटक दिया और निरपतसिंह ने जितेन्द्र को पटक दिया। इस प्रकार से अभियुक्त द्वारा फरियादी जितेन्द्र की मारपीट किए जाने का आशय अभिकथित दौ सौ रुपये शराब के लिए मांग करने के परिणामस्वरूप रहा हो, ऐस स्पष्ट नहीं होता है। यद्यपि यह तथ्य अवश्य अखण्डित रहा है कि अभियुक्त द्वारा फरियादी जितेन्द्र को स्वेच्छा उपहति पहुंचाई गयी। सुरेन्द्र अ0सा0 1 के अभियुक्त के विरुद्ध फरियादी की मृत्यु के पश्चात् असत्य कथन किए जाने अथवा उस पर अविश्वास किए जाने का कोई युक्तियुक्त आधार नहीं हैं।

8. अशोक कुमार शर्मा अ0सा0 2 प्रकरण के अनुसंधानकर्ता है जो कि अनुसंधान के क्रम में फरियादी की निशांदाही पर नक्शामौका प्र0पी0 1 बनाए जाने और उस पर ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए जाने का कथन करते हैं। सुरेन्द्र अ0सा0 1 ने घटनास्थल करनसिंह के दरवाजे का बताया गया है जिससे नक्शामौका प्र0पी0 1 के आधार पर समर्थन होता है। प्रकरण में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि फरियादी का कोई मेडीकल परीक्षण नहीं कराया गया ऐसे में अभियोजन का मामला प्रमाणित नहीं होता है। अभियुक्त की ओर से दिए गए तर्क के संबंध में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि संहिता की धारा 319 के अधीन उपहति का आशय शारीरिक पीडा, रोग या अन्य शैथिल्य कारित किए जाने से होता है। सुरेन्द्र अ0सा0 1 द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किया है कि घटनास्थल पर अभियुक्त व फरियादी की मारपीट शुरू हो गयी जिस पर अविश्वास का कोई आधार नहीं हैं। यद्यपि प्रकरण में कोई मेडीकल नहीं हुआ है किन्तु मेडीकल अपराध को प्रमाणित किए जाने हेतु आवश्यक शर्त नहीं हैं।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अभियोजन यह तथ्य अंशतः प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा दिनांक 25.08.2005 को 5:30 बजे करनसिंह तोमर के मकान के सामने रोड एण्डोरी में फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर उपहति कारित की। अतः अभियुक्त को दप्रस की धारा 222 के अधीन भादवि0 की धारा 327 के स्थान पर छोटा अपराध संहिता की धारा 323 का अपराध प्रमाणित होने से उक्त धारा के अधीन दोषसिद्ध किया जाता है। अभियुक्त को संहिता की धारा 341, 294 व 327 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

10. अभियुक्त के जमानत मुचलके भारहीन किए गए। उन्हें अभिरक्षा में लिया गया।
11. अभियुक्त के स्वेच्छिक अपराध को देखते हुए एवं उसकी परिपक्व आयु को देखते हुए उसे परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिये जाने का कोई आधार नहीं पाया जाता है। दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त व उनके विद्ववान अभिभाषक को सुने जाने हेतु निर्णय लेखन कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

सही / -

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद जिला भिण्ड मध्यप्रदेश**पुनश्च:**

12. अभियुक्त एवं उनके विद्ववान अभिभाषक को सुना गया। उन्होंने अभियुक्त की प्रथम दोषसिद्धि का कथन करते हुए अभियुक्त के ग्रामीण मजदूर कृषक होने के आधार पर कम से कम दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया है। अभियोजन को भी सुना गया।
13. अभियुक्त **निरपत** की पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में कोई तथ्य अभिलेख पर नहीं हैं किन्तु साथ ही उसकी परिपक्व आयु एवं आहत/फरियादी को स्वेच्छा मारपीट कर उपहति कारित करने का आरोप प्रमाणित पाया गया है। साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य है कि प्रकरण न्यायालय के समक्ष 10 वर्ष से अधिक समय से लंबित है और अभियुक्त की आयु लगभग 52 वर्ष हो चुकी है। फरियादी की भी मृत्यु हो चुकी है और उसे कारित चोटें साधारण प्रकृति की प्रमाणित हुई हैं। ऐसी दशा में अभियुक्त को कठोरतम दण्ड से दण्डित न करते हुए शिक्षाप्रद दण्ड से दण्डित किए जाने पर न्याय के उद्देश्य की पूर्ति होना संभव है। अतः **अभियुक्त निरपत को संहिता की धारा 323 के अधीन न्यायालय उठने तक की अवधि की दाण्डाज्ञा व 600 रुपये अर्थदण्ड** से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्तगण को 10 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

14. प्रकरण में जब्त शुदा संपत्ति कुछ नहीं।
15. निर्णय की एकप्रति अविलंब अभियुक्त को प्रदान की जावे।
16. अभियुक्त की निरोधावधि के संबंध में धारा 428 दप्रसं0 का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित

कर घोषित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता

न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)